न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 111/2020

1. धन्ना पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी ग्राम बीनावाला उपतहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 31.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम धन्ना मु0नं0 340/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र गंगावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 29.10.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनाक 31.12.2018 को ग्राम बीनावाला उप तहसील सैथल के खसरा नं0 433/011 रकबा 0.11 है0 एवं खसरा नं0 434/010 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 0.21 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॅार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलांट को जबाव व सबूत का कोई मौका नही मिला है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत कोई सबूत या निर्णय भी नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नही हुई है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की मौजूदगी मे कोई निर्णय पारित नही किया है। जबकि सजा जैसे प्रकरण मे पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका मिलना कानूनन व न्यायार्थ आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान मे किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट बावजूद सूचना स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई हैं। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट बावजूद सूचना स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर तोरी की काश्तकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। अपीलांट को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किये जाने एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की ओर से खसरा नं0 433/011 रकबा 0.11 है0 एवं खसरा नं0 434/010 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 0.21 है0 किस्म चरागाह भूमि पर वर्तमान मे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त कर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास की सजा सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा